समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0 दिनांक 09.09.2013 तथा बेतार संवाद सं0-462/वि0, दिनांक 08.10.2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 04.10.13 एवं 05.10.13 की तिथि निर्धारित करतें हुए आम सूचना निर्गत किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत पुनः छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अलग से दिनांक 19.10.13 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी श्री सुखदेव प्रसाद सिंह पे0 श्री राज कुमार सिंह सा0 धुरगाँव, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा ने अपने दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-2017/2015/64 पर धारित शस्त्र सं0-78705 का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन के आरोप में इस कार्यालय के ज्ञापांक 88/श0, दिनांक 12-12-13 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

श्री पिन्टु कुमार सिंह पे0 स्व0 सूर्यदेव प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0 धुरगाँव, थाना+जिला मधेपुरा ने दिनांक 03.04.2014 को आवेदन पत्र एवं अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र सं0-02 दिनांक 05.01.2013 के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न कर सूचित किया है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने के कारण इनके नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करने एवं धारित बन्दुक को बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने का निवेदन किया है।

अतएव अनुज्ञप्तिधारी के पुत्र से प्राप्त आवेदन के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त स्व0 सूर्यदेव प्रसाद सिंह पे0 श्री राज किशोर सिंह, सा0 धुरगाँव, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-2017/2015/64 को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है तथा अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को तत्क्षण मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में एवं अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

श्री पिन्टु कुमार सिंह को आदेश दिया जाता है कि मूल अनुज्ञप्ति पुस्त खोजकर अविलंब जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आपके अभ्यावेदन के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति पर उक्त कार्रवाई की जा रही है।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री कुमार द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक......179....../विधि, मधेपुरा, दिनांक....7/4/14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडा0, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री पिन्टु कुमार सिंह पे0 स्व0 स्व0 सूर्यदेव प्रसाद सिंह, सा0 धुरगाँव, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

07/04/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।